भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2870

जिसका उत्तर 05.12.2019 को दिया जाना है

वाहनों की लाइटों में रोशनी के स्तर के मानक

2870. श्री रामस्वरूप शर्माः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वाहनों में रोशनी के मानक स्तर के अनुसार लाइट को लगाने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है जो निर्धारित मानक से अधिक रोशनी वाली लाइट लगा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): जी, हां। मंत्रालय ने मोटर वाहन भारतीय मानक (एआईएस)-008 और मोटर वाहन भारतीय मानक (एआईएस)-012 अधिसूचित किए हैं जो मोटर वाहनों के लिए लाइटनिंग और लाइट - सिगनलिंग डिवाइसेस को लगाने और कार्य निष्पादन आवश्यकता के संबंध में है।

(ग): केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 का क्रियान्वयन राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकार के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

(घ): मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 182ए में ऐसे मोटर वाहनों और संघटकों निर्माण, अनुरक्षण, बिक्री और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है जो मोटर यान अधिनियम के अध्याय VII के प्रावधानों अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुरूप नहीं होते हैं।

*****